NORTH CAROLINA राज्य
समीक्षा बोर्ड

संबंध में:

उच्च प्राधिकरण निर्णय संख्या.

ध्यानार्थ:

वादी

नियोक्ता

यह वाद N.C.Gen.Stat. §96-15(e) के अनुसरण के सम्बन्ध में, अपील डाकेट संख्या ...... के तहत बर्खास्त करने के एक आदेश के सम्बन्ध में अपील रेफ़री द्वारा दिए गए निर्णय के सम्बन्ध में **(दावेदार) (नियोक्ता)** की **अपील** पर विचार करने के लिए समीक्षा बोर्ड ("बोर्ड") के समक्ष आया था। याचिका दायर करने वाले पक्षकार के रूप में, (दावेदार) (नियोक्ता), डॉकेट संख्या …… के तहत न्यायाधीश द्वारा निर्धारण में अपनी अपील की पैरवी के लिए दिनांक ……… को आयोजित अनुसूचित सुनवाई में उपस्थित होने में विफल (रहा)(रही) है, (दावेदार) (नियोक्ता) ने उपरोक्त आदेश को स्थगित करने के लिए बोर्ड से निवेदन किया है और पुन: सुनवाई और निर्णय के लिए वाद को प्रतिप्रेषित किया है।

अपील निर्णय संख्या ...... को रद्द करने के उसके अनुरोध और वाद को एक नई सुनवाई के लिए रोजगार सुरक्षा विभाग ("प्रभाग") केअपील अनुभाग में प्रतिप्रेषित करने केआधार केरूप में, (दावेदार) (नियोक्ता) अभिलेख की समीक्षा का दावा करता है।

बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला है कि (दावेदार) (नियोक्ता) ने गवाही और अन्य सबूत देने हेतु साक्ष्य सुनवाई में उपस्थित होने में अपनी विफलता के लिए 04 N.C. Admin. Code 24A .0105(26) में परिभाषित रूप में समुचित कारण दर्शाए हैं। उचित कारण को यथोचित कदम केअनुपालन में कानून द्वारा आवश्यक कार्य करने में विफल रहने केलिए एक कानूनी कारण की पर्याप्तता की हद तक कानूनी रूप से पर्याप्त कारण होना चाहिए। "यथोचित कदम" का अर्थ है विशेष परिस्थितियों में एक उचित और विवेकपूर्ण व्यक्ति से अपेक्षित और उसकेद्वारा उपयोग किए गए सावधानी, एहतियात, सतर्कता, और उचित निर्णय केउपाय। 04 N.C. Admin. Code 24A .0105(21). तदनुसार, (दावेदार( )नियोक्ता(केएक अन्य सुनवाई केप्रस्ताव को स्वीकृत किया जाना चाहिए।

पूवरगामी के आधार पर, एक **अनय सुनवाई** आयोजित करने के लिए वाद अपील रेफरी को परतिपरेषित किया जाना चाहिए।

<u>महतवपूणर</u> – <u>निमनलिखित पृषठ देखें</u>

परतिपरेषण पर सुनवाई पूरी होने पर अपील रेफरी को बखार्स्त करने के पूवर आदेश को रदद कर देना होगा और तथय के नए छानबीन और कानून के निषकषर के साथ एक नया निणरय जारी करना होगा। तथय की इस नई छानबीन में निरंतरता और परतिपरेषणों के सभी आदेशों सहित, वाद का परकिरयातमक इतिहास, परतिपरेषणों के कारणों, परतिपरेषण ऑडरर की औपचारिकताओं का सारांश, और इस मामले में आयोजित की गई हर सुनवाई में पेश होने वाले पक्षों और गवाहों का विवरण दिया जाएगा।

वाद को इस फैसले के अनुरूप आगे की कायरवाही के लिए **परतिपरेषित** किया जाता है।

यह आदेश दिया जाता है कि सभी इचछुक पक्षों को पुन: सुनवाई के समय और सथान के बारे में विधिवत अधिसूचित किया जाएगा, और अपील रेफ़री परतिपरेषित सुनवाई के निषकषर में पूवर नियोजित सभी डॉक्ट संखयाओं का उपयोग करके नए निणरय की पहचान करेंगे।

यह भी आदेश दिया जाता है कि अपील अनुभाग में परेषित इस निणरय के साथ परतिपरेषित अभिलेख के सभी दसतावेज सुनवाई की सूचना के साथ अपील रेफ़री को अगरेषित किए जाएंगे, और दसतावेजों को परदशरनीय के रूप में चिहिनत और कानून के अनुसार आवशयक अभिलेख पूरा करने के लिए परतिपरेषण अपील रेफरी द्वारा अभिलेख में दजर किया जाएगा।

समीक्षा बोडर के सदसयों Keith A. Holliday और Stan Campbell ने इस अपील में भाग लिया और इस निणरय से सहमत हैं।

यह.

समीक्षा बोर्ड

____

अध्यक्ष

<u>सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए सूचना</u>

एक कानूनी प्रतिनिधि जैसा कि 04 N.C. Admin. Code 24A .0105(32) में परिभाषित किया गया है (एक तीसरे पक्ष की कंपनी के नियोक्ता के बेरोजगारी बीमा व्यवस्थापक के रूप में सेवा देने वाले व्यक्तियों सहित) एक लाइसेंस प्राप्त वकील या N.C. Gen. Stat. Ch. 84 and § 96-17(b) के अनुसार एक लाइसेंस प्राप्त वकील द्वारा पर्यवेक्षित व्यक्ति होना चाहिए। पर्यवेक्षण वकील की नोटिस और / या प्रमाणीकरण 04 N.C. Admin. Code 24C .0504 के अनुसार लिखित में होना चाहिए। **न्यायिक कार्यवाही में कानूनी प्रतिनिधित्व N.C. Gen. Stat. Ch. 84 के अनुपालन में होना चाहिए।**

04 N.C. Admin. Code 24C .0504 के अनुसार, जब एक पक्षकार का अपना एक कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त होता है, तो पक्षकार को भेजे जाने वाले सभी दस्तावेज या कोई सूचना केवल उसके कानूनी प्रतिनिधि को ही भेजा जाएगा। पक्षकार के कानूनी प्रतिनिधि को प्रदान की गई कोई भी जानकारी उसी प्रकार लागू और प्रभावी होगी, जैसे कि उसे सीधे पक्षकार को भेजा गया है।

30 जून, 2013 को या उसके बाद दायर किए गए दावों के लिए, दावेदार किसी भी प्रशासनिक या न्यायिक निर्णय जो कि बाद में अपील होने पर उलट जाती है, से प्राप्त लाभों के पुनर्भुगतान के तहत है। N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2)।

याचिका दायर करने की तिथि: निर्णय प्रेषित करने की तिथि: